न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 30 / 2012 (RCMS No. 2012/00048)

प्रार्थीगण

1. मोहनराम पुत्र हणमानराम
2. राधादेवी पत्नि चेनाराम
3. रोहित पुत्र चेनाराम नाबालिक जरिये कुदरती वली माता राधादेवी पत्नि चेनाराम जाट निवासीगण ओमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
4. गजेन्द्र पुत्र चेनाराम नाबालिक जरिये कुदरती वली माता राधादेवी पत्नि चेनाराम जाट निवासीगण ओमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हणमानराम पुत्र जीवणराम जाट
2. पतासीदेवी पत्नि हणमानराम जाट
3. बलदेवाराम पुत्र हणमानराम जाट
4. रामकिशन पुत्र हणमानराम जाट
5. भंवरी पुत्री हणमानराम जाट
6. चेनाराम पुत्र हणमानराम जाट निवासीगण औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
7. सेठीदेवी पत्नि जीवणराम जाट निवासी दौलतपुरा
8. अजीतसिंह पुत्र गिरवरसिंह राजपूत
9. महेन्द्रसिंह पुत्र बनेसिंह राजपूत
10. मनोहरसिंह पुत्र बनेसिंह राजपूत
11. गणपतसिंह पुत्र धूड़सिंह राजपूत निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
12. भगवानलाल पुत्र मोहनलाल जांगिड़
13. एजनदेवी पत्नि मोहनलाल जांगिड़ निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
14. मोतीलाल पुत्र नूराराम जाति जांगिड़ निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
15. लिछमादेवी पत्नि नारायणराम जाट निवासी जोशीपुरा तहसील नांवा
16. गोपीराम पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी टोडास तहसील नावां
17. भंवराराम पुत्र घीसाराम जाट निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
18. सेवाराम पुत्र रामूराम जाट
19. नाथू खॉं पुत्र सुमान खॉं
20. दाखा पत्नि सुमान खॅं
21. कानीदेवी पत्नि ईश्वरराम जाट
22. प्रभूराम पुत्र ईश्वरराम जाट निवासीगण औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
23. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
24. मैनेजर यू.को. बैंक शाखा पांचवा
25. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
26. उप पंजीयक कुचामनसिटी
27. अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी
28. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:41 IST
Reason: SelfAttested

......2......

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं.2, 3, 4 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 30.9.2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान का राजस्व वाद मजबूत बिनाय पर आधारित अदालत हाजा में जैरतजबीज है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की सम्भावना है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र व पौत्र व पुत्रवधू है सजरा परिवार निम्न प्रकार से है :–

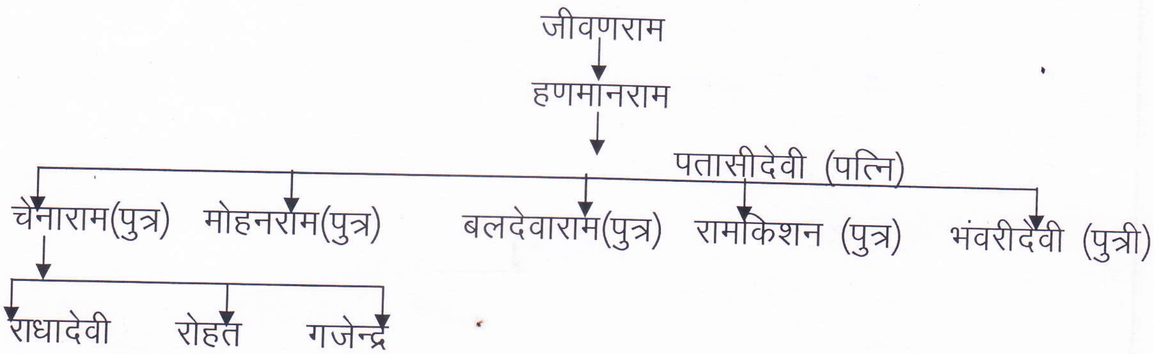

ग्राम ओमपुरा पटवार मण्डल कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 750 रकबा 5.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 753 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 754 रकबा 3.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु. ढ़ाणी, खसरा नम्बर 756 रकबा 16.61 हैक्टर जुमले रकबा 26.96 हैक्टर स्थित है व खसरा नम्बर 749 रकबा 4.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 751 रकबा 4.66 हैक्टर स्थित है कुल रकबा 8.32 हैक्टर जो सम्पूर्ण मौके पर एक ही चक में स्थित है, उपर्युक्त खसरा नम्बर 750, 752, 753, 754, 755, 756 कुल रकबा 26.96 हैक्टर में 2.34 हैक्टर भूमि प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी सं. 3, 4 के दादा की हणमानराम पुत्र जीवणराम के नाम व खसरा नम्बर 749, 750 कुल रकबा 9.32 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की भूमि प्रार्थी सं. 1 की माता व प्रार्थी सं. 3, 4 की दादी श्रीमति पतासीदेवी पत्नि हनुमानराम के नाम खातेदारी की है जो प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है, उपरोक्त 2.34 हैक्टर व 2.33 कु[illegible] 1/6 हिस्सा अप्रार्थी नं. 1 व 2 का, 1/6 हिस्सा प्रार्थी मोहनराम का, 1/6 [illegible] अप्रार्थी बलदेवाराम, 1/6 हिस्सा अप्रार्थी रामकिशन का, 1/6 हि[illegible] 1/6 हिस्सा प्रार्थी सं. 3 व 4 व उनके पिता चेनाराम का संयु[illegible] है, उपरोक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है, अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थ[illegible] व प्रार्थी सं. 3, 4 के पिता अप्रार्थी चेनाराम से कुछ दिनो से मनमुटाव रखने लग गए है तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि में काश्त करने से मना करने लग गए है जबकि प्रार्थीगण अपने उपरोक्त हक हिस्सा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:41 IST
Reason: SelfAttested

.....3....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भूमि पर बाई बर्थ स्वतः अधिकारी है तथा बंटवारा कराने के हकदार हे, अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने यह भी धमकी दी है कि उन्होने उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण का बेचाननाम करेंगे इसलिए प्रार्थीगण के कोई बंट नही देगे तथा कुछ दिनो पूर्व गावं मे चर्चा सुनी कि अप्रार्थी नं. 1 ने अपने नाम की भूमि का बेचाननाम भी कर दिया है जिस पर दिनॉक 23.05.2012 को प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर आवश्यक खतौनी की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी नं. 1 ने उपर्युक्त खसरा नम्बर 750, 752, 753, 754, 755, 756 में 2.34 हैक्टर सम्पूर्ण अपने पुत्र बलदेवराम रामकिशन के नाम बेचाननामा भी कराकर नामान्तरकरण भी उनके नाम दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 3 4 के पिता चेनाराम भी अप्रार्थी नं. 1 व 2 के पुत्र है जिनको उनके जायज हक से महरूम रखने हेतु अप्रार्थी नं. 1 व 2 बलदेवराम रामकिशन के नाम बेचान किया गया है जो गलत है इसमें प्रार्थी सं. 1 का 1/6 हिस्सा व प्रार्थी सं. 3 4 व उनके पिता अप्रार्थी चेनाराम का 1/6 हिस्सा व अधिकार है, अप्रार्थी सं. 3 4 ने धमकी दी है कि खसरा नम्बर 749 750 के अभिलिखित हिस्सा भी अपने नाम कराकर रहेंगे ऐसा करने में अप्रार्थी सं. 3 व 4 सफल हो गये तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा तथा अपने अधिकारो से वंचित रह जायेंगे,प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रार्थीगण को उनके हक हिस्स की उपर्युक्त भूमि में काश्त करने में दखल डालने में व बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढ़ेगी, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम औमपुरा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 750, 752, 753, 754, 755, 756 कुल रकबा 26.96 हैक्टर में से 2.34 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 749, 750 कुल रकबा 9.32 हैक्टर मे 1/4 हिस्सा में 2/6 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण 1 ता 5 किसी प्रकार का दखल नही डाले तथा उपर्युक्त भूमि बाबत कोई बेचाननामा बिना विभाजन के नही करावे तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 4 द्वारा उपर्युक्त भूमि के बाबत कोई भी हस्तानान्तरण बेचान इत्यादि बाबत दस्तावेज पेश होने पर अप्रार्थी सं. 26 पंजियन नही करे तथा उपरोक्त खसरा नम्बर की 2.34+2.33 हैक्टर पतासी देवी की 2.33 हैक्टर के बाबत अप्रार्थी सं. 27 28 राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनॉक 30.05.2012 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, दौराने सुनवाई अप्रार्थी सं. 1 हणमानराम पुत्र जीवनराम की दिनॉक 04.07.2012 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके कायम मुकाम पहले से ही रिकार्ड पर है, अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, शेष अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2066–2069 की नकल नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की, अप्रार्थीगण की ओर से बेचान दस्तावेज दिनॉक 25.09.2000, 25.09.2000, 16.05.2012 की छाया प्रतिया प्रस्तुत की।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 750, 752, 753, 754, 755, 756 कुल रकबा 26.96 हैक्टर मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

से 2.34 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 1 हणमानराम पुत्र जीवनराम की खरीद सुदा भूमि है जो उसने अपनी संचित आय व मेहनत मजदूरी की आये से दिनॉक 25.09.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख भंवरसिंह पुत्र नाहरसिंह तोपकंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी औमपुरा से प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की थी, उपरोक्त भूमि स्वअर्जित सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार किसी भी रूप में प्राप्त नही हो सकते अप्रार्थी सं. 1 को उपरोक्त खसरान की भूमि को किसी भी रूप में व्यय करने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त था, अप्रार्थी सं. 1 हणमानराम द्वारा उपरोक्त खसरान में से अपनी खरीदसुदा भूमि रकबा 2.34 हैक्टर का बेचान बलदेवाराम रामकिशन पि. हणमानराम को दिनॉक 16.05.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिया था तथा कब्जा भूमि का भौतिक सुपुर्द कर दिया था उक्त बेचान का नामान्तरकरण सं. 269 दिनॉक 21.05.2012 खरीददारान के नाम स्वीकृत होकर उनका नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज हो गया तथा खसरा नम्बर 749, 750 कुल रकबा 9.32 हैक्टर में से 1/4 हिस्से की भूमि अप्रार्थी सं. 2 पतासीदेवी पत्नि हणमानराम की खरीद सुदा भूमि है जो उसने अपने द्वारा संचित आय व अपनी कमाई से दिनॉक 25.09.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख लाडकंवर बेवा समन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी औमपुरा से प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की है, उपरोक्त भूमि अप्रार्थी सं. 2 की स्वअर्जित अचल सम्पति है जिसको किसी भी प्रकार से व्ययन करने का उसे कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उपरोक्त स्वअर्जित सम्पतिया होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में कतई साबित नही होने से प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई जिन्होने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2066–2069 ग्राम औमपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 750 752 753 754 755 756 कुल रकबा 26.96 हैक्टर में हणमानराम पुत्र जीवनराम जाट सा. रामपुरा लाम्बा हि. 2.34 हैक्टर अन्य सहखातेदारान के नाम प्रविष्टि दर्ज है तथा नामा. सं. 269 दिनॉक 21.05.2012 के द्वारा हणमानराम पुत्र जीवणराम जाट द्वारा बेचान करने पर बलदेवाराम रामकिशन पि. हणमानराम जाति जाट हिस्सा 2.34 हैक्टर दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2066–2069 ग्राम औमपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 749 750 कुल रकबा 9.32 हैक्टर में श्रीमति सेठी पत्नि जीवणराम जाट सा. दौलतपुरा पतासीदेवी पत्नि हणमानराम जाति जाट सा. रामपुरा लाम्बा 1/2 अजीतसिंह गिरवरसिंह महेन्द्रसिंह मनोहरसिंह पि. बनेसिंह सेठीदेवी पत्नि जीवणराम जाट सा. दौलतपुरा गणपतसिंह पि. धूड़सिंह 1/2 कौम राजपूत सा. दह खातेदार [illegible] बेचान दस्तावेज सं. 661/2000 दिनॉक 25.09.2000 अनुसार [illegible] तोपकंवर धर्म पत्नि भंवरसिंह राजपूत निवासी औमपुरा द्वारा [illegible] जाट नि. रामपुरा लाम्बा को सम्पूर्ण हिस्सा खसरा नम्बर 750 752 753 754 755 756 में से बेचान किय गया है, बेचान दस्तावेज सं. 660/2000 दिनॉक 25.09.2000 अनुसार लाडकवंर बेवा समन्दरसिंह कौम राजपूत नि. औमपुरा द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा खसरा नम्बर 749 750 मं से पतासी देवी पत्नि हणमानराम जाट साकिन र ामपुरा लाम्बा को बेचान किया गया है, बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:41 IST
Reason: SelfAttested

.....5....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेज सं. 2012001654 दिनॉक 16.05.2012 अनुसार हणमानराम पुत्र जीवणराम जाट निवासी रामपुरा लाम्बा द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा खसरा नम्बर 750 752 753 754 755 756 में से बलदेवाराम रामकिशन पुत्रान हणमानराम जाट रामपुरा लाम्बा को बेचान किया गया है। जिसको स्वअर्जित बेचान फरोक्त रहन इत्यादि किये जाने के लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनो ही प्रार्थी साबित करने में असफल रहा। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 30.5.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:41 IST
Reason: SelfAttested